उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं0–34/2024–25

BANK OF BARODA

बनाम्

Mrs. Rakhi & others

–: आदेश :–

25.09.2024

प्राधिकृत पदाधिकारी, BANK OF BARODA, Bokaro Steel City Branch, Sector-4, B.S. City, Bokaro द्वारा धारा 14 (1) and (2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSESTS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत विपक्षी 1. Mrs. Rakhi W/o Mukesh Kumar Singh 2. Mr. Anil Kumar Sinha, Address.- Qtr. No. 1237, Sector 12/F, Bokaro Jharkhand के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष बैंक की ओर से प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा दलील दी गई कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (Residential flat situated at flat no. 103, Ground Floor, Alaknanda Apartment Carpet Area 1017 sq.ft. together with undivided proportionate share in land measuring 435 sq.ft. at basement situated at plot No. 26, 28, 29 & 31, Khata No. 27, Mouza Bandhgora, P.S. Chas, Thana No. Sec-12/35, Halka No. 08, District Bokaro bearing Registered Deed No. 4875, Dated 21.12.2017 in the name of Mrs. Rakhi W/o Mr. Mukesh Kumar Singh.) को गिरवी रखते हुए 26,90,000.00 (छब्बीस लाख नब्बे हजार) रूपये

Scanned with CamScanner

का बैंक से ऋृण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋृण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्त्ता का खाता दिनांक–02.05.2022 को ही एन0पी0ए0 हो गया है। दिनांक–02.06.2023 तक ऋणकर्त्ता पर कुल रूपये 25,63,048.37 के साथ ब्याज एवं अन्य शुल्क का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजुद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT-2002 की धारा–14 (1) & (2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर दखल–कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा पुलिस बल की माँग की गई है।

विपक्षी को निबंधित डाक से नोटिस भेजे जाने के बाद भी वह सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित है।

प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा दाखिल आवेदन पत्र एवं अभिलेख में संधारित कागजात के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि विपक्षी के द्वारा ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। विपक्षी का सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित रहना उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1) एवं (2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, BANK OF BARODA Bokaro Steel City Branch, Sector-4, B.S. City, Bokaro द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए

Scanned with CamScanner

विधि–व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

स्थानः– बोकारो।

दिनांकः– 25/09/2024

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2024.12.21 21:17:22 +05:30
Location: 192.168.230.234

Scanned with CamScanner